राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस)

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण पहलें:

वित्त मंत्रालय(आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. 5/7/2003-ईसीबी&पीआर द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना(अंशदान आधारित पेंशन योजना) लागू की गई थी जिसे अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) के नाम से जाना जाता है। दिनांक 1 जनवरी, 2004 से केंद्र सरकार सेवा में हुई सभी नई भर्तियों(सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए एनपीएस अनिवार्य कर दिया गया था।

पीएफ़आरडीए अधिनियम, 2013 को अधिनियमित करने के पश्चात, इस अधिनियम के खंड 20 के अनुसार, दिनांक 22.12.2003 को अधिसूचित पेंशन योजना, इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली बन गई है। एनपीएस को अब पीएफ़आरडीए अधिनियम, 2013 और वित्तीय सेवा विभाग तथा पीएफ़आरडीए द्वारा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के तहत विनियमित किया जाता है।

दिनांक 01.01.2004 से एनपीएस लागू करने के साथ ही, दिनांक 30.12.2003 को केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन का संराशीकरण), नियमावली, केन्द्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन), नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली और अंशदायी भविष्य निधि नियमावली में इस आशय से संशोधन किए गए कि इन नियमों के अधीन मिलने वाले हितलाभ, दिनांक 1.1.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त तथा एनपीएस द्वारा कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

(क) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा पहलें

- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 05.05.2009 का का.ज्ञा.सं. 38/41/06-पी&पीडबल्यू(ए)- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के का.ज्ञा द्वारा, सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने अथवा अशक्तता या नि:शक्तता होने के कारण सरकारी सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में, केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 और केन्द्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 के अधीन दिए जाने वाले हितलाभों को एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विस्तारित किया गया।

  सरकारी कर्मचारी इस विषय में अपना विकल्प दे सकता है। यदि सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए मृत्यु होने अथवा अशक्तता या नि:शक्तता होने पर सरकारी सेवा से कार्यमुक्त किए जाने की दशा में पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत हितलाभ प्राप्त करता है, तो एनपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी की संचित पेंशन निधि में सरकारी अंशदान और उस पर प्रतिलाभ, सरकारी खाते में अभ्यर्पित कर दिया जाएगा और कर्मचारी का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ सरकारी कर्मचारी या उसके कुटुंब को वापस कर दिया जाएगा।

- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 26.08.2016 का का.ज्ञा.सं. 7/5/2012-पी&पीडबल्यू(एफ़/बी)- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 26.08.2016 के का.ज्ञा.द्वारा एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत शामिल कर्मचारियों के लिए यथालागू नियमों और शर्तों पर, सेवानिवृत्ति उपदान तथा मृत्यु उपदान के हितलाभ दिए गए हैं।

- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 12.02.2020 का का.ज्ञा.सं. 7/5/2012-पी&पीडबल्यू(एफ़/बी) - केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा उचित माध्यम से अनुज्ञा ले कर अन्य संगठनों में कार्यग्रहण करने की दशा में, उपदान या यथानुपात उपदान मंजूर करने के प्रयोजनार्थ सेवा की गणना करने के विषय में अनुदेश जारी किए गए।

- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 26.07.2005 और 28.10.2009 का का.ज्ञा.सं. 28/30/2004-पी&पीडबल्यू(बी)- ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व सरकारी सेवा या स्वायत्त निकाय सेवा में नियुक्त हुए थे और केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली द्वारा शासित होते थे, उनके द्वारा केंद्र सरकार सेवा/किसी स्वायत्त निकाय की सेवा में कार्यग्रहण करने के लिए दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात विगत सेवा से तकनीकी त्यागपत्र दिए जाने पर, केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली के अनुसार सम्मिलित सेवा के आधार पर पेंशन संबंधी हितलाभों को जारी रखने के लिए विगत सेवा की गणना के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 26.07.2005 के का.ज्ञा. द्वारा अनुदेश जारी किए गए।

  ऐसे कर्मचारी जो दिनांक 01.01.2004 से पूर्व केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय सेवा में नियुक्त हुए थे और केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली अथवा केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के समान अन्य पेंशन योजना द्वारा शासित होते थे, उनके द्वारा केंद्र सरकार सेवा/किसी स्वायत्त निकाय की सेवा में कार्यग्रहण करने के लिए दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात विगत सेवा से तकनीकी त्यागपत्र दिए जाने पर, पुरानी पेंशन योजना जारी रखने के प्रयोजनार्थ, उनकी विगत सेवा की गणना की अनुज्ञा देने के लिए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 26.07.2005 के का.ज्ञा. में, दिनांक 28.10.2009 के का.ज्ञा. द्वारा और संशोधन किया गया।

- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 01.01.2021 का का.ज्ञा. सं. 1/3/2019-पी&पीडबल्यू(ई)- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 01.01.2021 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा अनुदेश जारी किए गए कि दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात नियुक्त हुआ और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किया गया सरकारी कर्मचारी यदि नि:शक्त हो जाता है, तो वह भी केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन), नियमावली के नियम 9(3) के संदर्भ में संगणित एकमुश्त मुआवजा पाने का पात्र होगा, यदि नि:शक्तता सरकारी सेवा के कारण हुई हो और ऐसी नि:शक्तता होने के बावजूद सरकारी कर्मचारी को सेवा में प्रतिधारित किया जाता है।

- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 17.02.2020 का का.ज्ञा. सं. 57/4/2019-पी&पीडबल्यू(बी) - पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 17.02.2020 को का.ज्ञा. जारी करके यह प्रावधान किया गया कि ऐसे सभी मामलों में, जहां 31.12.2003 को या इससे पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष भर्ती के लिए परिणाम दिनांक 01.01.2004 से पूर्व घोषित किए गए थे, भर्ती के लिए सफल घोषित उम्मीदवार केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कवर किए जाने के पात्र होंगे। तदनुसार, ऐसे सरकारी कर्मचारियों को, जिन्हें दिनांक 01.01.2004 से पूर्व होने वाली रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 31.12.2003 को या उससे पूर्व घोषित परिणामों में भर्ती के लिए सफल घोषित किया गया था और जो दिनांक 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए हैं, केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के अधीन कवर किए जाने के लिए एक-बार विकल्प दिया जा सकेगा।

- केन्द्रीय सिविल सेवा(राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियमावली, 2021 को एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए दिनांक 30.03.2021 को अधिसूचित किया गया।

(ख) वित्तीय सेवा विभाग द्वारा की गई पहलें

- वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के दिनांक 22 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. 5/7/2003-ईसीबी&पीआर द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली(एनपीएस) को लागू किया गया। एनपीएस को अब पीएफ़आरडीए अधिनियम, 2013 और वित्तीय सेवा विभाग तथा पीएफ़आरडीए द्वारा उसके अधीन बनाए गए विनियमों के तहत विनियमित किया जाता है।

- एनपीएस के अंतर्गत, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को पंजीकृत किया जाता है और एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या(PRAN) आवंटित किया जाता है। दिनांक 1.4.2019 से पूर्व, सरकारी कर्मचारी द्वारा वेतन और महंगाई भत्ते(DA) का 10 प्रतिशत भाग मासिक अंशदान के रूप में जमा करना अनिवार्य था और कर्मचारी की पेंशन निधि में सरकार द्वारा 10 प्रतिशत का बराबर अंशदान जमा किया जाता था।

- कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान और सरकार द्वारा किए गए अंशदान को पेंशन निधि प्रबंधकों द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित निवेश पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाता था। सरकारी कर्मचारियों के लिए तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पेंशन निधि प्रबन्धक थे। सरकारी कर्मचारियों के पास पेंशन निधि प्रबन्धक या निवेश पैटर्न के लिए कोई विकल्प नहीं था।

- अधिवर्षिता पर एनपीएस से निकासी होने पर, व्यक्ति को पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत विनियमित बीमा कंपनी वार्षिकी सेवा प्रदाता, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(आईआरडीए) से वार्षिकी खरीदने के लिए टीयर-1 में संचित पेंशन कॉर्पस के कम से

कम 40% का निवेश करना अनिवार्य है और टियर-1 खाते में संचित कॉर्पस के अधिकतम 60% का एकमुश्त भुगतान किया जाता है। यदि सरकारी कर्मचारी अधिवर्षिता से पूर्व(अर्थात 60 वर्ष की आयु से पूर्व) एनपीएस से बाहर हो जाता है, तो उसे वार्षिकी की खरीद के लिए संचित पेंशन कॉर्पस के कम से कम 80% का निवेश करना होगा और शेष 20% को एकमुश्त राशि के रूप में आहरित किया जा सकेगा।

- वित्तीय सेवा विभाग के दिनांक 31.01.2019 की अधिसूचना - एनपीएस के कार्यान्वयन को सुप्रवाही बनाने के उपायों हेतु सुझाव देने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में, वित्तीय सेवा विभाग ने अपने दिनांक 31.01.2019 की अधिसूचना द्वारा एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित हितलाभ दिए:

  (i) कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ता के 10% भाग के अंशदान के साथ, दिनांक 01.04.2019 से सरकार द्वारा 14% की दर से अंशदान जमा किया जाएगा।

  (ii) एनपीएस की 95% तक की राशि का अवसंरचना/ऋण निधि में और 5-15% का सरकारी कर्मचारियों के लिए इक्विटी में निवेश। दिनांक 01.04.2019 से जीवन चक्र आधारित निधि अर्थात एलसी-50 और एलसी-25 भी उपलब्ध हैं।

  (iii) दिनांक 01.04.2019 से सरकारी कर्मचारियों के लिए निवेश चयन और पेंशन निधि के विकल्प उपलब्ध कराए गए।

  (iv) दिनांक 01.04.2019 से एनपीएस टियर II में किए गए निवेश को कर छूट के लिए धारा 80 ग के अधीन शामिल किया गया।

(ग) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा की गई पहलें

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 17/08/2016 का का.ज्ञा.सं.28020/1/2010-स्था.(सी)- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए तकनीकी त्यागपत्र और धारणाधिकार पर समेकित दिशानिर्देश जारी किए हैं। कार्यालय ज्ञापन में पिछले संगठन से तकनीकी त्यागपत्र देने के पश्चात अन्य संगठन में कार्यभार ग्रहण करने पर छुट्टी और एलटीसी को आगे ले जाने, वेतन संरक्षण, वरिष्ठता, धारणाधिकार का प्रतिधारण, कार्यभार ग्रहण करने का समय, यात्रा भत्ता, सेवा पुस्तिका का स्थानांतरण आदि से संबंधित अनुदेश निहित है।

- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का दिनांक 10/06/2019 का का.ज्ञा. सं. 28035/2/2014-स्था.(ए)- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 31.12.2003 के पश्चात राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के त्यागपत्र को वापस लेने पर अनुदेश जारी किए गए।

(घ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई पहलें

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का दिनांक 28.03.2017 का का.ज्ञा.सं. एस.11011/10/2012-सीजीएचएस(पी)/ईएचएस - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए सरकारी कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन, सीजीएचएस के हितलाभ विस्तारित करने के लिए अनुदेश जारी किए:

    i. सेवानिवृत्ति के पश्चात सीजीएचएस सदस्यता की पात्रता के लिए अर्हक सेवा के अपेक्षित न्यूनतम वर्ष -10 वर्ष।

    ii. मृत्यु/नि:शक्तता होने की दशा में सीजीएचएस प्रसुविधा प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम अर्हक सेवा की अपेक्षा नहीं है।

    iii. अन्य शर्तें जैसे कुटुंब की परिभाषा, सीजीएचएस अंशदान, आश्रित होने की शर्तें इत्यादि विद्यमान नियमों के अनुसार लागू होंगी।

-----*समाप्त*------